बिहार विधान सभा से प्राप्त अतारांकित प्रश्न	
डॉ0 अच्युतानन्द, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं0–पुन–6 दैनिक समाचार पत्र के दिनांक –11.01.13 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्रीमती डॉ0 रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के 14 जिलों, जिनमे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान, सहरसा, गोपालगंज आदि शामिल हैं, के द्वारा गैर प्राकृतिक आपदा की कुल रू0 95.575 लाख (पनचानवे लाख सनतावन हजार पॉच सौ रू0) की राशि का व्यय प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है ।	वस्तुस्थिति यह है कि सी0टी0एम0आई0एस0 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक –10.01.13 तक राज्य के 14 जिलों के द्वारा गैर प्राकृतिक आपदा हेतु आवंटित कुल राशि रू0 95.575 लाख के विरुद्ध रू0 63.50 लाख का व्यय किया गया था । पटना एवं पूर्वी चम्पारण जिलों को क्रमशः रू0 21.217 लाख एवं रू0 1.00 लाख माह फरवरी में आवंटित किये गए । इन सभी जिलों का व्यय प्रतिवेदन सी0टी0एम0आई0एस0 के माध्यम से विभाग को प्राप्त है ।
(ख) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त 14 जिलों द्वारा गैर प्राकृतिक आपदा मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जिलों के नागरिकों को गैर आपदा मद से लाभ नहीं प्राप्त हुआ है ।	अस्वीकारात्मक । सी0टी0एम0आई0एस0 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 14 जिलों को कुल आवंटित राशि रू0 95.575 लाख के विरुद्ध उक्त जिलों द्वारा दिनांक –31.03.13 तक रू0 93.58 लाख का व्यय किया गया तथा शेष रू0 2.00 लाख जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा कोषागार में जमा करा दिया गया। पटना एवं पूर्वी चम्पारण जिलों द्वारा कुल आवंटित राशि रू0 22.217 लाख का व्यय कर दिया गया है।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गैर प्राकृतिक आपदा मद की राशि खर्च करने में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक? नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक । उपर्युक्त कंडिका (ख) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0अता0प्र0–68/2013/................................/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –2822 दिनांक –22.04.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0अता0प्र0–68/2013/ 1717 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 7/5/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

7.5.13

सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Qu ans Dr. Achutanand.docx